न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 32/2010/अपील

1.	भंवर लाल	पुत्रगण गुल्लाराम जाति माली निवासीगण समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर (राज.)
2.	मंगलचन्द	
3.	रामनिवास	
4.	श्यामलाल	

अपीलान्टस्

बनाम

1.	तहसीलदार सीकर	
2.	महावीर सिंह पुत्र किशनाराम	जाति जाट निवासी जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर
3.	रूघाराम पुत्र हेमाराम	जाति जाट निवासीगण बिंज्यासी तहसील व जिला सीकर
4.	रामेश्वर लाल पुत्र पोखरमल	
5.	अशोक कुमार पुत्र लिखमाराम	जाति जाट, निवासी ग्राम भढ़ाढ़र, तहसील धोद जिला सीकर
6.	महावीर सिंह पुत्र सुरजाराम	जाति जाट, निवासी नेहरों की ढ़ाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
7.	बृजेन्द्र सिंह बिजारणियां पुत्र दानाराम	जाति जाट, निवासी ग्राम बीबीपुरा बड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–

1. श्री महेश कुमार जांगिड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दौलत सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75(1क) एलआर एक्ट विरूद्व सीमाज्ञान आदेश कमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 व सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक 23.04.2010

निर्णय

सुनवाई दिनांक :25 सितम्बर, 2017 दिनांकः 06 नवम्बर, 2017

1. अपीलान्टस् ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अपीलांट के पैतृक खाते कब्जे काश्त की बारानी कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 627/459 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 628/459 रकबा 0.31 हैक्टर,

खसरा नम्बर 460 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 629/462 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 630/462 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.08 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 464 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.05 हैक्टर जिनके नये बट्टा नम्बर 728/463 रकबा 0.03 हैक्टर व 727/462 रकबा 0.11 हैक्टर बने हैं तथा चाह जाव खसरा नम्बर 330 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 409 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.18 कुल किता 6 कुल रकबा 2.17 हैक्टर राजस्व ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। डालूराम की विरासत में खाता गलत रूप से गुल्लाराम के तस्दीक हो जाने तथा गुल्लाराम द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्ठा करने पर अपीलांट द्वारा एक दावा बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर सीकर के यहां बउनवानी भंवरलाल बनाम गुल्लाराम आदि दावा संख्या 71/87 पेश किया। इस समय भूप्रबन्ध कार्यवाही चालू हो जाने से गुल्लाराम अकेले के हक में स्वीकृति नामान्तरण त्रुटि को स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश किया जिस पर पत्रावली संख्या 193/86 कायम की जाकर गुल्लाराम ने अपनी सगी बहिनों चन्दा, मणि, ज्यानकी का पैतृक हक हिस्सा स्वीकार कर बारानी कृषि भूमि 458, 627/459, 628/459, 460/629, 630/462, 463, 464 कुल किता 8 जिसके नये बट्टा नम्बर 728/463 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 727/462 रकबा 0.11 हैक्टर कुल रकबा 4.05 हैक्टर अपनी बहिनों को दे दी तथा चाही जाव की जमीन खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 अपने हिस्से में रख ली। इस कारण गुल्लाराम के समान ही उसकी बहिनें भी खातेदार हो गई इसलिए उन्हें दावे में पक्षकार बनाया गया। तादौरान दावा के पक्षकारान में राजीनामा होने पर मुताबिक राजीनामा गुल्लाराम के ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित चाही आराजी में जमीन खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 भूमि हिस्से में आई तथा ग्राम समर्थपुरा में स्थित बारानी फसली कृषि भूमि 458, 627/459, 628/459, 460/629, 630/462, 463, 464 कुल किता 8 जिसके नये बट्टा नम्बर 728/463 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 727/462 रकबा 0.11 हैक्टर कुल रकबा 4.05 हैक्टर चन्दा, मणि, ज्यानकी के हिस्से में आने का राजीनामा न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक कीर दिया गया। लेकिन सहायक कलक्टर सीकर द्वारा राजीनामे के विपरीत जाकर इस बाबत कोई ध्यान दिये बिना कि गलत रूप से गुल्लाराम को उनके हिस्से से भी ज्यादा चाही भूमि ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 राजीनामे में मिल चुकी है। सहायक कलक्टर सीकर ने राजीनामे पर ध्यान दिये बिना गलत रूप से गुल्लाराम को बारानी भूमियों में से 1/5 हिस्से की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा गुल्लाराम ने बिना कोई प्रतिफल लिए अपनी पारिवारिक नाराजगी के चलते आरम्भतः शून्य विक्रय पत्र दिनांकित 26.10.1998 को सरकार द्वारा अवाप्त शुदा भूमियों सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के हक में निष्पादित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 23.10.1998 के तहत भरा गया नामान्तरण संख्या 141 जिला कलक्टर द्वारा अपील संख्या 37/99 बउनवानी सहायक अभियंता सार्वजनिक विभाग सीकर बनाम गुल्लाराम आदि दिनांक 05.12.2000 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश की संभागीय आयुक्त के यहां अपील संख्या 1/2001 बउनवानी महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 18.01.2001 को खारिज कर दी गई तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिविजन संख्या 8/2003 (11/2001) महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 26.05.2005 को खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण निरस्त होने का आदेश आज भी वैध एंव प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट ने अपने हक अधिकार सक्षम न्यायालय से तय करवाये बिना राजस्व मण्डल अजमेर के पीठासीन अधिकारियों व अपीलांट को मुगालता देकर निर्णय पारित करवा लिया जिसकी रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के यहां विचाराधीन है। अपीलांट को हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार सीकर को रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 ने अन्यथा प्रभावित कर अपने हक में नामान्तरण संख्या 432 तस्दीक करवाकर अपीलाधीन भूमियों पर मिथ्या हक अधिकार सृजित करने की कुचेष्ठा करने के तहत अपीलांट व पड़ौसी खातेदार काश्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना मिथ्या खातेदारी की आड़ में तहसीलदार सीकर को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सीकर ने आदेश क्रमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 को अपीलाधीन भूमियों की सीमाज्ञान का आदेश पारित किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23.04.2010 को रेवेन्यु नक्शा सर्वेशीट के विपरीत नजर नक्शा बनाकर अपीलांट व पड़ौसी खातेदारों को बिना कोई सूचना व सुनवाई के गलत सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट तहसीलदार सीकर के समक्ष पेश कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस् इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आये हैं।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर श्री दौलत सिंह ने तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 5 व 6 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 7 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि डालूराम की विरासत में खाता गलत रूप से गुल्लाराम के तस्दीक हो जाने तथा गुल्लाराम द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्ठा करने पर अपीलांट द्वारा एक दावा बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर सीकर के यहां बउनवानी भंवरलाल

बनाम गुल्लाराम आदि दावा संख्या 71/87 पेश किया। इस समय भूप्रबन्ध कार्यवाही चालू हो जाने से गुल्लाराम अकेले के हक में स्वीकृति नामान्तरण त्रुटि को स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश किया जिस पत्रावली संख्या 193/86 कायम की जाकर गुल्लाराम ने अपनी सगी बहिनों चन्दा, मणि, ज्यानकी का पैतृक हक हिस्सा स्वीकार कर बारानी कृषि भूमि कुल रकबा 4.05 हैक्टर अपनी बहिनों को दे दी तथा चाहीजाव की जमीन अपने हिस्से में रख ली। इस कारण गुल्लाराम के समान ही उसकी बहिनें भी खातेदार हो गई इसलिए उन्हें दावे में पक्षकार बनाया गया। तादौरान दावा के पक्षकारान में राजीनामा होने पर मुताबिक राजीनामा गुल्लाराम के ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित चाही आराजी में जमीन भूमि हिस्से में आई। सहायक कलक्टर सीकर ने राजीनामे पर ध्यान दिये बिना गलत रूप से गुल्लाराम को बारानी भूमियों में से 1/5 हिस्से की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा गुल्लाराम ने बिना कोई प्रतिफल लिए अपनी पारिवारिक नाराजगी के चलते आरम्भतः शून्य विक्रय पत्र दिनांकित 26.10.1998 को सरकार द्वारा अवाप्त शुदा भूमियों सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में निष्पादित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 23.10.1998 के तहत भरा गया नामान्तरण संख्या 141 जिला कलक्टर द्वारा अपील संख्या 37/99 बउनवानी सहायक अभियंता सार्वजनिक विभाग सीकर बनाम गुल्लाराम आदि दिनांक 05.12.2000 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश की संभागीय आयुक्त के यहां अपील संख्या 1/2001 बउनवानी महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 18.01.2001 को खारिज कर दी गई तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिविजन संख्या 8/2003 (11/2001) महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 26.05.2005 को खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण निरस्त होने का आदेश आज भी वैध एंव प्रभावी है। तहसीलदार सीकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 से अन्यथा प्रभावित होकर नामानतरकरण संख्या 432 के आधार पर जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज कर सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 जारी किया, जिसके फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट ग्राम समर्थपुरा तैयार करने से पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स की कोई पालना नही की गई है न ही कब्जे कोई जांच की गई मौके पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है।हल्का वटवारी द्वारा अकेले ही सीमाज्ञान की कार्यवाही बिना मौके पर गये अपने कार्यालय में बैठकर तैयार कर दिनांक 23.04.2010 को तहसील कार्यालय में पेश की गई है जो मौका स्थिति के विपरीत है एवं अपीलाधीन भूमियों पर शुरू से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपील व रिट याचिका विचाराधीन रहते व एसडीओ सीकर का स्थगन आदेश में रहते सीमाज्ञान आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सीकर द्वारा जारी सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 को निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

5. रेस्पोडेन्टस् 2 से 4 ने अपने जवाब में अंकित किया कि सम्बन्धित खसरा नम्बरों में से कुछ को पीडब्ल्युडी ने एक्वायर कर लिया था, अपीलांट व उसके पिता ने मुआवजा ले लिया था, मुआवजा लिए हुए जमीनों को हमें बेचा गया, पीडब्ल्युडी ने हमारे खिलाफ मुकदमें किये, अपीलांट ने भी मुकदमें किये, सिविल कोर्ट का फैसला हुआ, फैसले के मुताबिक तहसीलदार सीकर ने मौके पर जाकर हमें कब्जा दिया, अपीलांटस न इस फैसले से पहले ही मुकदमा रेवेन्यु कोर्ट में किया और सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया व सिविल न्यायालय के फैसले कि खिलाफ रेवेन्यु अधिकारियों को मुगालता में रखकर नामान्तरण करवा लिया उस पर ऋण ले लिया, ज्ञात होने पर हमने रेवेन्यु बोर्ड में अपील की, रेवेन्यु बोर्ड में इनका नामान्तकरण खारिज हुआ, जमीन हमारे नाम से किये जाने के आदेश किये, आदेशों का पालन तहसीलदार सीकर ने मौके पर जाकर नपती कर नामान्तरकरण भर दिया, अपीलांट ने राज. उच्च न्यायालय में अपील की जो खारिज हो गयी और अपीलांट ने न्यायालय एसडीओ से स्टे ले लिया उसमें इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया, रेवेन्यु बोर्ड ने स्टे को खारिज कर दिया और रेस्पोडेन्ट ने जमीन बेच दी तथा सारे न्यायालयों में फैसले इसके खिलाफ हो गये। इनका मौके पर कोई कब्जा नहीं है। नामान्तरकरण जिस डिक्री के आधार पर खुला है, वह डिक्री आज भी कायम है, तब तक डिक्री पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यह नामान्तरकरण खारिज नहीं किया जा सकता है। जिससे रेस्पोडेन्ट के पक्ष में डिक्री के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण विधि सम्मत है। स्वीकृत नामान्तरकरण एवं खातेदारी के आधार पर सक्षम आदेश की पालना में की गई सीमाज्ञान की कार्यवाही विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलांट ने आवेदन किन कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश की गलत व्याख्या की है। अपीलांट ने प्रस्तुत आवेदन में गलत रूप से यह अंकित किया है कि तहसीलदार सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 431, 432, व सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 व 23.04.2010 राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 26.03.2010 अपास्त हो जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा अपील संख्या 53/03 में दिनांक 17.11.2016 को पारित आदेश के अनुसरण में अपील स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलांट ने उपरोक्त समस्त अभिकथन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के फैसले की गलत कानूनी व्याख्या करते हुए वर्णित किया है तथा गलत आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किया प्रार्थनीय है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) अपीलान्टस् द्वारा चुनौतिग्रस्त आदेश सीमाज्ञान क्रमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 की प्रति प्रस्तुत नही की गई है। मात्र सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 23.04.2010 प्रति प्रस्तुत की है।

(2) नामान्तरकरण संख्या 432 दिनांक 05.04.2010 माननीय सिविल न्यायधीश (व.ख.) सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2004 एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1998 के अनुसरण में पटवारी हल्का ग्राम समर्थपुरा द्वारा भरे जाने पर, बाद जॉच भू.अ.नि. पिपराली के, तहसीलदार सीकर ने स्वीकार किया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने रिकॉर्ड के साथ संलग्न सीमाज्ञान कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2010 में आवेदक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 अंकित है, जो उक्त भूमि के खातेदार दर्ज थे, द्वारा सीमाज्ञान का आवेदन किये जाने पर, तहसीलदार सीकर के आदेश क्रमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 की पालना में पटवारी हल्का कुड़ली द्वारा मौके पर दिनांक 23.04.2010 को सीमाज्ञान करवाया गया है।

(4) भू–राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी भूमि के सीमाज्ञान के लिए आवेदन कर सीमाज्ञान करवा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि महावीर सिंह, रूघाराम एवं रामेश्वर द्वारा बतौर खातेदार अपने खेत का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सीकर द्वारा भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 की धारा 34 के अनुसार सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 1183 दिनांक 190.04.2010 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होन से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांकः 06 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official